फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

राकेश कुमार बनाम **हनुमान**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 127 सन–2024

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म का तामील में जारी हुए
06.06.2024	वकील सायल ने यह प्रार्थना –पत्र सायल की ओर से पेश किया प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील सायल को स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय सुना गया प्रस्तुत रिकार्ड /दस्तावेजात /शपथ पर का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया प्रकरण, सूविधा का सन्तुलन , अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रस्तुंत दस्तावेज एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि रोही मौजा अरडकी के खाता संख्या 246/249 की कुल 21.5880हैक में से गैरसायल संख्या 1 के नाम 7673/215880हिस्सा दर्ज है कि की रिकार्ड व मौका की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखें। रास्ता, खाला , रोडा एक्ट के प्रकरण व वाप्कोस कार्यवाही पर यह स्थगन लागू नही होगा वकील सायल गैरसायलान की तलबी हेतु रजिस्टर सम्मन पेश करे प्रार्थी /सायल आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करे । अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड /सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 28.06.2024 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर वकील सायल ने [illegible] पत्रावली पेश हुई सायल ने [illegible] की प्रार्थना पत्र में [illegible] पेश करने [illegible] प्रार्थना [illegible] व खारिज [illegible] प्रा.पत्र प्राथमिक स्टेट [illegible] यथास्थिति क्या प्रार्थना पत्र पेश करने की अनुमति दी जाय खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी नोहर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.25 19:09:53 IST
Reason: SelfAttested